



मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जवाहर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं

कोर्ट का यह फैसला देण-परेण के सुविवेचित विकास को दिशा देनेवा तथ

बढ़ रही परेशानियां...
कॉलोनिनों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहाँ बनेगी बहुमंजिला इमारतें

धुं ले रहे नुकसान

कोर्ट का फैसला सुनकर जवाहर और जोधपुर के लोगों में चिंता है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में भूखंडों को जोड़ने की अनुमति नहीं है, जिससे इमारतें बन नहीं पाएंगी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद जवाहर और जोधपुर के लोगों में चिंता है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में भूखंडों को जोड़ने की अनुमति नहीं है, जिससे इमारतें बन नहीं पाएंगी।

जे.डी.ए. के ज़ोन 5 में नर्सरी की जमीन (अजमेरा गार्डन की जमीन) पर बन रहा यह होटल वैध है या अवैध?



शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	खसरा संख्या 198 ग्राम सुशीलपुरा तहसील जयपुर की नर्सरी की जमीन एवं किंग रोड श्याम नगर
2.	संचालित गतिविधि	होटल
6.	उल्लंघन की प्रकृति	बिना अनुमति ,बिना स्वीकृत मानचित्र अनुमोदित करवाए होटल का निर्माण
7.	सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-5
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री राजीव यदुवंशी
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	24/01/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या होटल संचालक द्वारा विधिक रूप से व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या होटल संचालक द्वारा जे.डी.ए. से होटल हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या होटल संचालक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
4. क्या होटल संचालक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या होटल संचालकों द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. इन बिल्डिंगों के अवैध होने की स्थिति में जे.डी.ए. को व्यवसायिक रूपांतरण शुल्क,यू.डी. टेक्स,लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
7. किस प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था ?
8. यदि जे.डी.ए. विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?